भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *224

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूह

***224. श्री दिलेश्वर कामैत:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई, 2026 की स्थिति के अनुसार दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) से संबद्ध किए गए ग्रामीण परिवारों का ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत बैंक सखियों की तैनाती से ग्रामीण वित्तीय समावेशन और संस्थागत ऋण की सुलभता में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मई, 2026 की स्थिति के अनुसार उक्त मिशन के उद्यमशीलता घटक के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूह" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 04.08.26 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *224 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) को ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने और एक निश्चित अवधि में उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त करने तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने तक निरंतर पोषण एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य चार मुख्य घटकों अर्थात, (क) ग्रामीण गरीबों के स्व-प्रबंधित और आर्थिक रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों का सामाजिक संगठनीकरण, संवर्धन और सुदृढ़ीकरण; (ख) ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन; (ग) सतत आजीविका; और (घ) सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण में निवेश करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। संचयी रूप से, मई 2026 तक 10.05 करोड़ महिलाओं को 92 लाख एसएचजी में संगठित किया गया है।

(ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत बैंक सखी की तैनाती ने देश में ग्रामीण वित्तीय समावेशन और संस्थागत ऋण तक पहुंच में वृद्धि की है। बैंक सखी महिला एसएचजी सदस्यों को बचत बैंक खाते खोलने के लिए दस्तावेजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता करती है। बैंक सखी बैंक लिंकेज के लिए पात्र एसएचजी की सूची तैयार करने और समीक्षा/संवर्द्धन सहित ऋण आवेदनों को जमा करने और लंबित ऋण आवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने में सहायता कर रही है। बैंक सखी बैंकों के ऋणों के नियमित पुनर्भुगतान को सुनिश्चित करने में सहायक है और एसएचजी बैंक लिंकेज में एनपीए को कम करने में मदद की है। 55,371 बैंक सखी को बैंकों की विभिन्न शाखाओं में तैनात किया गया है जो बैंकों और महिला एसएचजी के बीच सुविधाकर्ता के रूप में काम करती हैं। 2013-14 से बैंकों से डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी द्वारा 13,41,852.66 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की गई है।

(ग) दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत, स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) एक विशिष्ट घटक है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि आजीविका क्षेत्र में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है। एसवीईपी में छह अलग-अलग उप-घटक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को ग्रामीण उद्यमिता और उद्यम विकास के विभिन्न पहलुओं में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एसवीईपी के तहत प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

1. एसवीईपी:- एसवीईपी दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक उप-योजना है, जो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को छोटे गैर-कृषि उद्यमों की स्थापना में सहायता करती है। कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है और मई, 2026 तक, एसवीईपी के तहत कुल 4.32 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।
2. ओएसएफ (वन स्टॉप सुविधा):- वन स्टॉप सूविधा (ओएसएफ) उप-घटक विकास-चरण के नैनो उद्यमों को उन्नत सहायता प्रदान करता है। इससे विनियामक अनुपालन, बड़े बाजारों तक पहुंच, बैंक क्रेडिट, उत्पाद विकास, गुणवत्ता मानकीकरण और अन्य व्यावसायिक विकास सेवाओं के साथ सहायता प्रदान करके उद्यम का विस्तार करता है। आज की स्थिति के अनुसार, 1.18 लाख उद्यमों को ओएसएफ के तहत सहायता प्रदान की गई है।
3. एमईडी (सूक्ष्म उद्यम विकास):- सूक्ष्म उद्यम विकास (एमईडी) उप-घटक वित्त, कौशल विकास और बाजार लिंकेज तक पहुंच में सुधार करके नैनो उद्यमों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों के सतत विकास को सक्षम बनाता है। आज की स्थिति के अनुसार, सूक्ष्म उद्यम विकास के तहत 1.11 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।
4. क्लस्टर विकास:- क्लस्टर विकास घटक साझा संसाधनों और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और बाजार जोखिमों को कम करके सामूहिक उद्यम विकास को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम कारीगर और मजबूत बाजार क्षमता वाले क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टरों को सहायता प्रदान करता है, साथ ही व्यवसाय आयोजना, बाजार लिकेंज, वित्त तक पहुंच, कौशल उन्नयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है और अब तक 21 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं।
5. एजीईवाई (आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना):- अगस्त 2017 में शुरू की गई आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) का उद्देश्य सुरक्षित, किफायती और समुदाय-प्रबंधित ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करना है, जिससे दूरदराज के गांवों तक संपर्कता बढ़े। इस योजना के तहत, एसएचजी सदस्यों को परिवहन वाहन खरीदने के लिए सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) से ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होता है, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर एसएचजी सदस्यों के लिए प्रति वाहन 6.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और सामुदायिक स्वामित्व वाले उद्यमों के मामले में बीमा और रखरखाव के लिए 2 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि शामिल है। मई 2026 तक एसएचजी महिलाओं द्वारा कुल 2,745 वाहन खरीदे गए हैं।

6. इनक्यूबेटर:- इनक्यूबेटर पहल को प्रत्येक राज्य में 150 उद्यमों को सहायता प्रदान करके महिला स्वामित्व वाले या महिला नेतृत्व वाले विकासोन्मुखी उद्यमों को पोषित एवं बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कार्यक्रम, सफल एवं अनुसरण योग्य उद्यम मॉडल बनाने के लिए गहन मार्गदर्शन, व्यवसाय सलाहकार सेवाएं और पारिस्थितिकी तंत्र सहायता प्रदान करता है और आज की स्थिति के अनुसार इस पहल के तहत 750 विकास उन्मुखी उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।
